

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100450

दिनांक: 06/01/2026

लोक सूचना

श्री KESHAV KUMAR BIHANI पुत्र श्री OM NARAYAN BIHANI जाति MAHAJAN निवासी C-4/B, JAI SINGH HIGHWAY, BANIPARK, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	नन्दगाँव, कालवाड़ (जयपुर)	1.) केशवकुमारबिहानी पुत्र ओमनारायणबिहानी हिस्सा पूर्ण जाति बिहानी सी 4 / बी जयसिंह हाइवे बनीपार्क जयपुर खातेदार 1.) केशवकुमारबिहानी पुत्र ओमनारायणबिहानी हिस्सा पूर्ण जाति बिहानी सी 4 / बी जयसिंह हाइवे बनीपार्क जयपुर खातेदार	103/159	2.0234	2.0234
कुल					2.0234

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 06-01-2026 को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & SAMACHAR JAGAT (Morning)

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

